

DEPARTMENT OF EXTENSION EDUCATION
S.K.N. COLLEGE OF AGRICULTURE, JOBNER

No.Ext.Edu./ 2022/ 618

Dated: 14.07.2022

सीमित निविदा

Sealed quotations are invited from the reputed Agency vehicle/owner to hire vehicle for monitoring purpose as colleges students The quotation will be accepted upto 21/07/2022 (11.00AM) and will be opened on the same day at 11.30. AM by the committee in the Department of Agronomy.

क. सं.	विवरण	दर रुपये प्रति किलोमीटर GST सहित		
		गाड़ी का प्रकार	AC	Non AC
1.	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय व श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्ध महाविद्यालय, जोबनेर के छात्र एवं छात्राओं की प्रभावी निगरानी व दैनिक कार्य की जाँच हेतु मॉनेटरिंग टीम को अलवर, अजमेर, फतेहपुर (सीकर), रीगंस, दौसा कोटपुतली, भरतपुर व जोबनेर के आस पास के गावों में जाने व आने हेतु माह अगस्त-2022 से जुलाई-2023(एक वर्ष) तक की अवधि के लिए लगभग अनुमानित राशी 1.50 लाख के खर्च होने की सम्भावना है अतः टैक्सी वाहन किराये पर प्रति किलो मीटर दर पर उपलब्ध करवाने के बाबत्। आवश्यक शर्तें:- 1. वाहन मालिक को धरोहर राशि के रूप में तीन हजार रुपये अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से D.D./नकद जमा करना होगा। 2. गाड़ी का मेन्टीनेंस एवं चालक परिचालक का खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। 3. गाड़ी का चार्ज प्रति किलो मीटर उपयोग के आधार पर ही दिया जायेगा। गाड़ी नहीं चलने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा। रात्रि ठहराव अलग से देय नहीं होगा। 4. गाड़ी के समस्त कागजात पूर्ण होना अनिवार्य है। 5. गाड़ी में बैठने हेतु सीटें आरामदायक होनी चाहिए। 6. चालक एवं परिचालक का वर्दी में होना अनिवार्य है, तथा इनका दैनिक खर्चा वाहन मालिक स्वयं का होगा। 7. गाड़ी को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में उपलब्ध करवानी होगी। 8. निविदाओं को निरस्त एवं स्वीकार करने का अधिकार अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय के पास होगा। 9. मार्ग में गाड़ी खराब होने पर दूसरा वाहन समय पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। 10. चालक को अपना ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ी के कागजात (R.C./परमिट इत्यादि) यात्रा के साथ लेकर जाना होगा एवं कोटेशन के समय सलंगन करना होगा। 11. समस्त टोल टैक्स एवं अन्य वाहन सम्बंधी चार्ज मालिक का होगा। 12. वाहन गत दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 13. दरें दिनांक 31 जुलाई 2023 तक मान्य रहेगी। 14. निविदा प्रस्तुत करने समय वाहन मालिक को अधिकृत फर्म के लेटरहेड पर निविदा को जमा करवाना होगा। 15. राज्य सरकार का जारी COVID -19 की मार्गदर्शन अनुसार मास्क, सेनाटाइजर, इत्यादि का उपयोग व पालना वाहन मालिक को स्वयं वहन एवं क्रियान्वित करना होगा।	1. इनोवा		
		2.बोलेरो		

Sharma
HEAD

Copy forward for information and necessary action to:

1. The Dean & Faculty Chairman, SKNCOA, Jobner.
2. The Dean, SKNCABM, Jobner.
3. The Incharge READY, SKNCOA, Jobner.
4. The Incharge, CIMCA, SKNAU, Jobner to upload at University website.
5. The Convenor/Members, Tender Purchase Committee, SKNCOA, Jobner.
6. The D.D.O./Cashier, Accounts Section, SKNCOA, Jobner.
7. M/s -----

Sharma
HEAD